

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- बोफला पुत्र धीसाराम

बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 1757/2023

तारीख
हुकम

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुकम
की तामील
में जारी
हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

16.06.23

प्रार्थी उपरिथत।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केग्य कावलियाकलां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 62 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम बोफला पुत्र धीसाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में बोफाराम पुत्र धीसाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम बोफला पुत्र धीसाराम के स्थान पर बोफाराम पुत्र धीसाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान कावलियाकलां में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 62 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम बोफला पुत्र धीसाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में बोफाराम पुत्र धीसाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम बोफला पुत्र धीसाराम के स्थान पर बोफाराम पुत्र धीसाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- केकिन्दड़ा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 62 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि बोफला पुत्र धीसाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " बोफाराम पुत्र धीसाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO (प्रा.पत्र सुदर चिपनाई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कमिश्नर जैतारण (पाली)

